मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. एफ. 6-3/2005/3/एक

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2005.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के तहत कार्यवाही के संबंध में.

वर्तमान निर्देशों के अनुसार कदाचरण के छोटे मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत लघुशास्ति के संबंध में त्वरित कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 16 में दी गई है.

2. नियम 16(1) के पैरा (क) के तहत कारण बताओं नोटिस में यह लिखा जाना चाहिए कि नियम 10 में उल्लिखित कौन सी शास्ति दी जाना प्रस्तावित है.

3. यदि शासकीय सेवक का उत्तर आंशिक रूप से संतोषजनक हो तो नियम 16 के तहत जारी किए गए कारण बताओं नोटिस में प्रस्तावित शास्ति से कम शास्ति दी जा सकती है.

4. जैसा कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. सी-6-2/94/3/एक, दिनांक 30 जून, 1994 की कण्डिका 3(3) में स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रकरण चेतावनी देकर समाप्त नहीं किया जा सकता है या तो शासकीय सेवक की दोष मुक्त घोषित किया जाये या कम से कम परिनिन्दा का दण्ड दिया जाये.

5. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2071/एफ ए-6-85/82/1/(1), दि. 31 जुलाई, 1984 और दिनांक 28-12-84 और क्रमांक सी/6-1/25/3/एक, दिनांक 18 जुलाई, 1993 में "बिना कोई शास्ति अधिरोपित किए गए साधारण चेतावनी देकर" प्रकरण समाप्ति का उल्लेख है. इसे "बिना किसी शास्ति अधिरोपित किए" समझा जाये.

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमान रु. 12,000-16,500 या इससे ऊपर के वेतनमान में नियुक्त शासकीय सेवक के प्रकरण विभागीय कार्यवाही को बिना किसी दण्ड दिए समाप्त किया जाना है तो समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है.

हस्ता./-
(भूपाल सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.